UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-7

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification No. 8/ K.N.-7- 1183 /11-2014-700 (456)/2014, dated 20 November , 2014 for general information:

NOTIFICATION
Order

No. 8/ K.N.-7-1183/11-2014-700(456)/2014
Lucknow, Dated 20 November, 2014

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the stamp duty chargeable under clause (a) of Article 23 of Schedule 1-B of the said Act of 1899, on the instruments of Conveyance of Land acquired in name of Neyavely Lignite Corporation Limited (NLC) in favour of joint venture company Neyavely Uttar Pradesh Power Limited (NUPPL).

By order,

(Anil Kumar)
Pramukh Sachiv

http://srcgonprdsh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7

संख्या:8/क0नि0-7-1183/11-2014-700(456)/2014

लखनऊ: दिनांक: 20 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के *गजट* में प्रकाशित होने के दिनांक से नेयवेली निग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (एन0एल0सी0) के नाम से अर्जित की गयी भूमि से सम्बन्धित, संयुक्त उद्यम कंपनी "नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड" (एन0यू0पी0पी0एल0) के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण के लिखत पर उक्त अधिनियम, सन् 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते है।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/क0नि0-7-1183(1)/11-2014-700(456)/2014, दिनांक 20-11-2014

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि व कृपया इसे दिनांक 20-11-2014 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की दो सौ प्रतियॉ आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0, इलाहाबाद को तथा एक सौ प्रतियॉ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव औद्योगिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निदेशक (तकनीकी) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन अशोक मार्ग लखनऊ।
(4) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/महानिरीक्षक, निबन्धन उ0प्र0 लखनऊ को इस अपेक्षा से कि वे अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
(7) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
(8) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात।
(11) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, सूचना निदेशालय, लखनऊ।
(12) शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) गार्ड फाईल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in